



## न्यायालय- उपजिलाधिकारी

जनपद - बाराबंकी, तहसील - नबाबगंज

कंप्यूटरीकृत संख्या :- T202441248013081

आवेदक का नाम :- इम्पीरियल ग्रीन इन्फ्रा स्टेट प्रा० लि० द्वारा निदेशक सैय्यद नवेद शेर

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 24/05/2024

### आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही धारा-80 उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत इम्पीरियल ग्रीन इन्फ्रा इस्टेट प्रा०लि० द्वारा डाय० सै० नवेद शेर पुत्र सै० मुनव्वर शेर निवासी 3 क्यूंटेन रोड़ लालबाग लखनऊ द्वारा प्रस्तुत आनलाइन आवेदन संख्या टी० 202441248013081 दिनांक 14.02.2024 के आधार पर प्रारम्भ हुई।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि खतौनी सन् फ० 1428-1433 की खाता संख्या 00038 की गाटा संख्या 554अ रकबा 0.506हे० में से 0.272हे० माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 00040 की गाटा संख्या 555मि० रकबा 0.479हे० में से 0.279हे० माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 00039 की गाटा संख्या 561 रकबा 0.292हे० माल गुजारी रू० 15.70 कुल 03 किता कुल रकबा 0.843हे० भूमि स्थित ग्राम केवाडी परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी आवेदकगण के नाम दर्ज अभिलेख है। आवेदक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त गाटा संख्या पर अकृषक गतिविधियाँ विद्यमान हो जाने के कारण अब उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य सम्भव नहीं है, जिसके कारण उपरोक्त भूमि कृषि कार्य प्रयोजन में न आने के कारण भूमि को गैरकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त भूमि घोषित किये जाने की आवश्यकता है। राजस्व निरीक्षक की आख्या के अनुसार आवेदित गाटा संख्या का मौके पर सीमांकन करते हुए नजरी नक्शा बनाया गया जिसके अनुसार आवेदित गाटा संख्या का रकबा मौके पर पूर्ण है। आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के पास प्रश्नगत आवेदित भूखण्ड को मिलाकर 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार की आख्या के अनुसार आवेदित भूखण्ड लखनऊ-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 350मी० की दूरी पर स्थित है। इसी क्रम में तहसीलदार नबाबगंज द्वारा आख्या दिनांक 30.04.2024 संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार नबाबगंज द्वारा प्रेषित जाँच आख्या 30.04.2024 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आवेदक के नाम खतौनी सन् फ० 1428-1433 की खाता संख्या 00038 की गाटा संख्या 554अ रकबा 0.506हे० में से 0.272हे० माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 00040 की गाटा संख्या 555मि० रकबा 0.479हे० में से 0.279हे० माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 00039 की गाटा संख्या 561 रकबा 0.292हे० माल गुजारी रू० 15.70 कुल 03 किता कुल रकबा 0.843हे० को धारा-80(2) राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित किए जाने की उदघोषणा निम्न प्रकार से उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जा रही है:-

धारा-80(2)उ०प्र०रा०सं० 2006 के अन्तर्गत तहसीलदार नबाबगंज द्वारा प्रेषित आख्या निम्नवत् है:-

राजस्व ग्राम का नाम केवाड़ी परगना देवा तहसील नवाबगंज बाराबंकी

भूमिधर का नाम/पिता का नाम व स्थान:- इम्पीरियल ग्रीन इन्फ्रा इस्टेट प्रा०लि० द्वारा डाय० सै० नवेद शेर पुत्र सै० मुनव्वर शेर निवासी 3 क्यूंटेन रोड़ लालबाग लखनऊ

खतौनी खाता संख्या/खाते का क्षेत्र/माल गुजारी- 00038/0.506हे०/रू० 24.95 व खाता संख्या 00040/0.479हे०/रू० 23.70 व खाता संख्या 00039/0.292हे०/रू० 15.70

गाटा संख्या/आवेदित अंश:- खाता संख्या 00038 की गाटा संख्या 554अ रकबा 0.506हे० में से 0.272हे० माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 00040 की गाटा संख्या 555मि० रकबा 0.479हे० में से 0.279हे० माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 00039 की गाटा संख्या 561 रकबा 0.292हे० माल गुजारी रू० 15.70 कुल 03 किता कुल रकबा 0.843हे०

शुल्क का विवरण-उदघोषणा शुल्क रू० 1,51,740-00 व न्याय शुल्क रू० 1,51,740-00

2-आवेदक द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र दिया गया है। ऐसी स्थिति में नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।

3-आवेदक के आवेदित रकबा 0.843हे० पर आवासीय गतिविधियाँ प्रस्तावित हैं, जिसका सम्बन्ध कृषि बागवानी, मत्स्य पालन व कुटकुट पालन से नहीं है।

4-उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली-2016 की धारा-85(2) के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के



अनुसार उद्घोषणा प्रश्नगत रकबे का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उद्घोषणा शुल्क हेतु आगणित रकम का एक प्रतिशत रू० 1,51,740-00 चालान संख्या आर०ए०जे० 240030669/14.05.2024 व विभाजन शुल्क रू० 3000-00 चालान संख्या 5400/01/ई०एफ० 05959/15.05.2024 व न्याय शुल्क रू० 1,51,740-00 के सम्बन्ध में रू० 1,51,700-00 का भारतीय कोर्ट फी० स्टाम्प व रू० 40-00 का चिपकाऊ स्टाम्प अदा किया गया है।

5- चूँकि आवेदक द्वारा अपनी जोत का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, इसलिए राजस्व नियमावली-2016 के नियम-88 के अन्तर्गत उल्लिखित राजस्व संहिता-2006 की धारा-22 (2) के अनुसार उद्घोषणा शुल्क जरिये चालान सम्बन्धित लेखा शीर्षक में व न्याय शुल्क जरिये स्टाम्प जमा किया गया है।

6-इस उद्घोषणा में मात्र भूमि पर अकृषिक गतिविधियाँ प्रारम्भ होने के आधार पर भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किया जा रहा है, परन्तु मात्र इस घोषणा के आधार पर कोई भू-स्वामी भू-अर्जन की स्थिति में व्यवसायिक दर से प्रतिकर की माँग नहीं करेगा इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7-यह उद्घोषणा मात्र भूमि के अकृषिक प्रयोजन के संदर्भ में है, इस उद्घोषणा को स्वत्व सम्बन्धी किसी विवाद में आधार नहीं माना जायेगा। इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8-इस उद्घोषणा का विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत बाराबंकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदक को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना होगा तथा विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत योजना का पालन करना होगा।

9-आवेदित गाटा संख्या में अन्य सहखातेदार हैं, जिनका अनापत्ति विषयक शपथ पत्र एवं सहखातेदारों द्वारा हस्ताक्षरित नजरी नक्शा आवेदकगण द्वारा जरिए अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है।

अतएव प्रश्नगत भूमि गैरकृषिक प्रयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। अतः ग्राम केवाड़ी परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी स्थित भूमि खतौनी सन् फ० 1428-1433 की खाता संख्या 00038 की गाटा संख्या 554अ रकबा 0.506हे० में से 0.272हे० माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 00040 की गाटा संख्या 555मि० रकबा 0.479हे० में से 0.279हे० माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 00039 की गाटा संख्या 561 रकबा 0.292हे० माल गुजारी रू० 15.70 कुल 03 किता कुल रकबा 0.843हे० को कृषि से अलग कार्यों में प्रयुक्त किये जाने के कारण धारा-80(2) उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट तहसीलदार नवाबगंज द्वारा अग्रसारित की गयी है। तहसीलदार नवाबगंज की जाँच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण का आवेदित रकबा 0.843हे० गैरकृषिक प्रस्तावित भूमि घोषित किया जा सकता है। इस कारण उक्त धारा के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा शुल्क रू० 1,51,740-00 व विभाजन शुल्क रू० 3000-00 का चालान एवं न्याय शुल्क रू० 1,51,740-00 का भारतीय कोर्ट फी स्टाम्प अदा किया गया। अतः उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रस्तावित भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

#### आदेश

अतः ग्राम केवाड़ी परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी की खतौनी फ० वर्ष 1428-1433 की खाता संख्या 00038, 00040, 00039 पर इम्पीरियल ग्रीन इन्फ्रा इस्टेट प्रा०लि० द्वारा डाय० सै० नवेद शेर पुत्र सै० मुनव्वर शेर के नाम संक्रमणीय भूमिधर (श्रेणी 1-क) अंकित भूमि खाता संख्या 00038 की गाटा संख्या 554अ रकबा 0.506हे० में से 0.272हे० माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 00040 की गाटा संख्या 555मि० रकबा 0.479हे० में से 0.279हे० माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 00039 की गाटा संख्या 561 रकबा 0.292हे० माल गुजारी रू० 15.70 कुल 03 किता कुल रकबा 0.843हे० को धारा-80(2) उ०प्र० रा०सं०-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 के अन्तर्गत गैर कृषिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि घोषित किया जाता है। आवेदक को धारा 80(2) उ०प्र० रा०सं०-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। मात्र इस उद्घोषणा के आधार पर आवासीय/व्यवसायिक दर से प्रतिकर देय नहीं होगा तथा इस उद्घोषणा का जिला पंचायत बाराबंकी की योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदक को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा एवं जिला पंचायत बाराबंकी की योजना का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। यदि उल्लिखित गाटा संख्याओं के विरुद्ध ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उ०प्र०रा०सं०-2006 की धारा-82 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक नवाबगंज एवं विशेष भूमि अध्यापति अधिकारी बाराबंकी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। बाद अमलदरामद पत्रावली सचिव अभिलेखागार हो।



Digitally Signed by:  
BIJAY KUMAR TRIVEDI  
उपजिलाधिकारी

दिनांक समय: 24-05-2024 07:47:35 PM



## न्यायालय- उपजिलाधिकारी

जनपद - बाराबंकी, तहसील - नवाबगंज

कंप्यूटरीकृत संख्या :- T202441248013181

आवेदक का नाम :- मेनका सुरेखा

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 24/05/2024

### आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही धारा-80 उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत श्रीमती मेनका सुरेखा पत्नी श्री संदीप सुरेखा स्थाई एवं वर्तमान निवासी सुरेखा सदन रायगंज रोड़ गोरखपुर व श्रीमती पूजा जालान पत्नी श्री आकाश जालान निवासी स्थाई एवं वर्तमान निवासी 603 सराफ रेजीडेन्सी बेतियाहाता वार्ड नं0-33 गोरखपुर उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत आनलाइन आवेदन संख्या टी0 202441248013181 दिनांक 23.03.2024 के आधार पर प्रारम्भ हुई।

आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि खतौनी सन् फ0 1428-1433 की खाता संख्या 00132 की गाटा संख्या 557 रकबा 0.5850हे0 में से 0.1419हे0 माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 00021 की गाटा संख्या 562अ रकबा 0.3180हे0 में से 0.0206हे0 माल गुजारी परता खाता कुल 02 किता कुल रकबा 0.1625हे0 भूमि स्थित ग्राम केवाडी परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी आवेदकगण के नाम दर्ज अभिलेख है। आवेदकगण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त गाटा संख्या पर अकृषक गतिविधियाँ विद्यमान हो जाने के कारण अब उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य सम्भव नहीं है, जिसके कारण उपरोक्त भूमि कृषि कार्य प्रयोजन में न आने के कारण भूमि को गैरकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त भूमि घोषित किये जाने की आवश्यकता है। राजस्व निरीक्षक की आख्या के अनुसार आवेदित गाटा संख्या का मौके पर सीमांकन करते हुए नजरी नक्शा बनाया गया जिसके अनुसार आवेदित गाटा संख्या का रकबा मौके पर पूर्ण है। आवेदकगण द्वारा इस आशय का शपथ भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण के पास प्रश्रगत आवेदित भूखण्ड को मिलाकर 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। राजस्व निरीक्षक/ नायब तहसीलदार की आख्या के अनुसार आवेदित भूखण्ड लखनऊ-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 350मी0 की दूरी पर स्थित है। इसी क्रम में तहसीलदार नवाबगंज द्वारा आख्या दिनांक 30.04.2024 संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार नवाबगंज द्वारा प्रेषित जॉच आख्या 30.04.2024 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आवेदक के नाम खतौनी सन् फ0 1428-1433 की खाता संख्या 00132 की गाटा संख्या 557 रकबा 0.5850हे0 में से 0.1419हे0 माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 00021 की गाटा संख्या 562अ रकबा 0.3180हे0 में से 0.0206हे0 माल गुजारी परता खाता कुल 02 किता कुल रकबा 0.1625हे0 को धारा-80(2) राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित किए जाने की उदघोषणा निम्न प्रकार से उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जा रही है:-

धारा-80(2)उ0प्र0रा0सं0 2006 के अन्तर्गत तहसीलदार नवाबगंज द्वारा प्रेषित आख्या निम्नवत् है:-

राजस्व ग्राम का नाम केवाड़ी परगना देवा तहसील नवाबगंज बाराबंकी

भूमिधर का नाम/पिता का नाम व स्थान:- श्रीमती मेनका सुरेखा पत्नी श्री संदीप सुरेखा स्थाई एवं वर्तमान निवासी सुरेखा सदन रायगंज रोड़ गोरखपुर व श्रीमती पूजा जालान पत्नी श्री आकाश जालान निवासी स्थाई एवं वर्तमान निवासी 603 सराफ रेजीडेन्सी बेतियाहाता वार्ड नं0-33 गोरखपुर उत्तर प्रदेश

खतौनी खाता संख्या/खाते का क्षेत्र/माल गुजारी- 00132/0.5850हे0/रू0 28.70 व खाता संख्या 00021/0.3180हे0/रू0 15.70

गाटा संख्या/आवेदित अंश:-खाता संख्या 00132 की गाटा संख्या 557 रकबा 0.5850हे0 में से 0.1419हे0 माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 00021 की गाटा संख्या 562अ रकबा 0.3180हे0 में से 0.0206हे0 माल गुजारी परता खाता कुल 02 किता कुल रकबा 0.1625हे0

शुल्क का विवरण-उदघोषणा शुल्क रू0 29250-00 व न्याय शुल्क रू0 29250-00

2-आवेदकगण द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र दिया गया है। ऐसी स्थिति में नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।

3-आवेदकगण के आवेदित रकबा 0.1625हे0 पर आवासीय गतिविधियाँ प्रस्तावित है, जिसका सम्बन्ध कृषि बागवानी, मत्स्य पालन व कुटकुट पालन से नहीं है।



4-उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली-2016 की धारा-85(2) के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा प्रश्नगत रकबे का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उद्घोषणा शुल्क हेतु आगणित रकम का एक प्रतिशत रू० 29250-00 चालान संख्या आर०ए०जे० 240030666/14.05.2024 व विभाजन शुल्क रू० 2000-00 चालान संख्या 5400/01/ई०एफ० 05960/15.05.2024 व न्याय शुल्क रू० 29250-00 के सम्बन्ध में रू० 29200-00 का भारतीय कोर्ट फी० स्टाम्प व रू० 50-00 का चिपकाऊ स्टाम्प अदा किया गया है।

5- चूंकि आवेदकगण द्वारा अपनी जोत का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, इसलिए राजस्व नियमावली-2016 के नियम-88 के अन्तर्गत उल्लिखित राजस्व संहिता-2006 की धारा-22 (2) के अनुसार उद्घोषणा शुल्क जरिये चालान सम्बन्धित लेखा शीर्षक में व न्याय शुल्क जरिये स्टाम्प जमा किया गया है।

6-इस उद्घोषणा में मात्र भूमि पर अकृषिक गतिविधियाँ प्रारम्भ होने के आधार पर भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किया जा रहा है, परन्तु मात्र इस घोषणा के आधार पर कोई भू-स्वामी भू-अर्जन की स्थिति में व्यवसायिक दर से प्रतिकर की माँग नहीं करेगा इस सम्बन्ध में आवेदकगण द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7-यह उद्घोषणा मात्र भूमि के अकृषिक प्रयोजन के संदर्भ में है, इस उद्घोषणा को स्वत्व सम्बन्धी किसी विवाद में आधार नहीं माना जायेगा। इस सम्बन्ध में आवेदकगण द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8-इस उद्घोषणा का विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत बाराबंकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदक को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना होगा तथा विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत योजना का पालन करना होगा।

9-आवेदित गाटा संख्या में अन्य सहखातेदार हैं, जिनका अनापत्ति विषयक शपथ पत्र एवं सहखातेदारों द्वारा हस्ताक्षरित नजरी नक्शा आवेदकगण द्वारा जरिए अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है।

अतएव प्रश्नगत भूमि गैरकृषिक प्रयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। अतः ग्राम केवाड़ी परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी स्थित भूमि खतौनी सन् फ० 1428-1433 की खाता संख्या 00132 की गाटा संख्या 557 रकबा 0.5850हे० में से 0.1419हे० माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 00021 की गाटा संख्या 562अ रकबा 0.3180हे० में से 0.0206हे० माल गुजारी परता खाता कुल 02 किता कुल रकबा 0.1625हे० को कृषि से अलग कार्यों में प्रयुक्त किये जाने के कारण धारा-80(2) उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट तहसीलदार नवाबगंज द्वारा अग्रसारित की गयी है। तहसीलदार नवाबगंज की जाँच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण का आवेदित रकबा 0.1625हे० गैरकृषिक प्रस्तावित भूमि घोषित किया जा सकता है। इस कारण उक्त धारा के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा शुल्क रू० 29250-00 व विभाजन शुल्क रू० 2000-00 का चालान एवं न्याय शुल्क रू० 29250-00 का भारतीय कोर्ट फी० स्टाम्प अदा किया गया। अतः उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रस्तावित भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

#### आदेश

अतः ग्राम केवाड़ी परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी की खतौनी फ० वर्ष 1428-1433 की खाता संख्या 00132, 00021 पर श्रीमती मेनका सुरेखा पत्नी श्री संदीप सुरेखा व श्रीमती पूजा जालान पत्नी श्री आकाश जालान के नाम संक्रमणीय भूमिधर (श्रेणी 1-क) अंकित भूमि खाता संख्या 00132 की गाटा संख्या 557 रकबा 0.5850हे० में से 0.1419हे० माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 00021 की गाटा संख्या 562अ रकबा 0.3180हे० में से 0.0206हे० माल गुजारी परता खाता कुल 02 किता कुल रकबा 0.1625हे० को धारा-80(2) उ०प्र० रा०सं०-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 के अन्तर्गत गैर कृषिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि घोषित किया जाता है। आवेदकगण को धारा 80(2) उ०प्र० रा०सं०-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। मात्र इस उद्घोषणा के आधार पर आवासीय/ व्यवसायिक दर से प्रतिकर देय नहीं होगा तथा इस उद्घोषणा का जिला पंचायत बाराबंकी की योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदकगण को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा एवं जिला पंचायत बाराबंकी की योजना का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। यदि उल्लिखित गाटा संख्याओं के विरुद्ध ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उ०प्र०रा०सं०-2006 की धारा-82 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक नवाबगंज एवं विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बाराबंकी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। बाद अमलदरामद पत्रावली सचिव अभिलेखागार हो।



Digitally Signed by:  
BIJAY KUMAR TRIVEDI  
उपजिलाधिकारी

दिनांक समय: 24-05-2024 07:48:24 PM



## न्यायालय- उपजिलाधिकारी,(न्यायिक)

जनपद - बाराबंकी, तहसील - नवाबगंज

कंप्यूटरीकृत संख्या :- T802024064300

आवेदक का नाम :- इम्पीरियल ग्रीन इन्फ्राटेक प्रा० लि० द्वारा अधिकृत/हस्ताक्षरी मोहम्मद नईम अहमद

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 15/01/2025

आदेश

निर्णय

प्रस्तुत वाद धारा-80 उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत इम्पीरियल ग्रीन इन्फ्राटेक प्रा०लि० द्वारा अधिकृत/हस्ताक्षरी मोहम्मद नईम अहमद पुत्र स्व० अबू तैय्यब निवासी 14 फिरंगी महल विक्टोरिया स्ट्रीट चैक लखनऊ आफिस पता 3 क्वीनटन रोड लखनऊ द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन संख्या टी०-802024064300/28.11.2024 के आधार पर प्रारम्भ हुई।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि खतौनी सन् फ० 1428-1433 की खाता संख्या 00036 की गाटा संख्या 558मि० रकबा 0.074हे०, खाता संख्या 00041 की गाटा संख्या 562ब रकबा 0.019हे० एवं खाता संख्या 00021 की गाटा संख्या 562अ रकबा 0.318हे० में से रकबा 0.2974हे० भूमि स्थित ग्राम केवाड़ी परगना देवां तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी आवेदक के नाम बतौर खातेदार श्रेणी-1-क/भूमि संक्रमणीय दर्ज कागजात है। आवेदकगण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त गाटा संख्या पर आवासीय गतिविधियाँ विद्यमान हो जाने के कारण अब उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य सम्भव नहीं है, जिसके कारण उपरोक्त भूमि कृषि कार्य प्रयोजन में न आने के कारण गैर-कृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त भूमि घोषित किये जाने की आवश्यकता है। राजस्व निरीक्षक की आख्या के अनुसार आवेदित गाटा संख्या का मौके पर सीमांकन करते हुए नजरी नक्शा बनाया गया जिसके अनुसार आवेदित गाटा संख्या का रकबा मौके पर पूर्ण है। इसी क्रम में तहसीलदार नवाबगंज द्वारा आख्या दिनांक 04.01.2025 संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार नवाबगंज द्वारा प्रेषित जाँच आख्या दिनांक 04.01.2025 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आवेदित भूमि खतौनी सन् फ० 1428-1433 की खाता संख्या 00036 की गाटा संख्या 558मि० रकबा 0.074हे०, खाता संख्या 00041 की गाटा संख्या 562ब रकबा 0.019हे० एवं खाता संख्या 00021 की गाटा संख्या 562अ रकबा 0.318हे० में से रकबा 0.2974हे० भूमि स्थित ग्राम केवाड़ी परगना देवां तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी को धारा-80(2) राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित किए जाने की उद्घोषणा निम्न प्रकार से उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जा रही है:-

धारा-80(2)उ०प्र०रा०सं० 2006 के अन्तर्गत तहसीलदार नवाबगंज द्वारा प्रेषित आख्या निम्नवत् है:-

राजस्व ग्राम का नाम केवाड़ी परगना देवां तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी

1-भूमिधर का नाम/पिता का नाम व स्थान: इम्पीरियल ग्रीन इन्फ्राटेक प्रा०लि० द्वारा अधिकृत/हस्ताक्षरी मोहम्मद नईम अहमद पुत्र स्व० अबू तैय्यब निवासी 14 फिरंगी महल विक्टोरिया स्ट्रीट चैक लखनऊ आफिस पता 3 क्वीनटन रोड लखनऊ।

खतौनी खाता संख्या/खाते का क्षेत्र- खाता संख्या 00036 रकबा 0.074हे०, खाता संख्या 00041 रकबा 0.019हे०, खाता संख्या 00021 रकबा 0.318।

गाटा संख्या/आवेदित अंश: गाटा संख्या 558मि० रकबा 0.074हे०, गाटा संख्या 562ब रकबा 0.019हे० एवं गाटा संख्या 562अ रकबा 0.318हे० में से रकबा 0.2974हे०।

शुल्क का विवरण-उद्घोषणा शुल्क रू० 70272 -00 व न्याय शुल्क रू० 100-00

2-आवेदक के आवेदित रकबा 0.3904हे० पर आवासीय/व्यवसायिक गतिविधियाँ प्रस्तावित है, जिसका सम्बन्ध कृषि बागवानी, मत्स्य पालन व कुटकुट पालन से नहीं है।

3-उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-85(2) के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा प्रश्नगत रकबा का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उद्घोषणा शुल्क हेतु आगणित रकम का एक प्रतिशत रू० 70272-00 जरिये चालान संख्या आर०ए०जे० 250004186/13.01.2025 एवं व विभाजन शुल्क रू० 3000-00 जरिए चालान संख्या 5400/01/ए० ए० 77761/10.01.2025 जमा किया गया व न्याय



शुल्क रू0 100-00 का कोर्ट फीस के रूप में टिकट अदा किया गया है।

4- चूंकि आवेदक द्वारा जोत का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, इसलिए राजस्व नियमावली-2016 के नियम-88 के अन्तर्गत उल्लिखित राजस्व संहिता-2006 की धारा-22(2) के अनुसार उद्घोषणा शुल्क जरिये चालान सम्बन्धित लेखा शीर्षक में व न्याय शुल्क जरिये स्टाम्प जमा किया गया है।

5-इस उद्घोषणा में मात्र भूमि पर अकृषिक गतिविधियाँ प्रारम्भ होने के आधार पर भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किया जा रहा है, परन्तु मात्र इस घोषणा के आधार पर कोई भू-स्वामी भू-अर्जन की स्थिति में व्यवसायिक दर से प्रतिकर की माँग नहीं करेगा इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6-यह उद्घोषणा मात्र भूमि के अकृषिक प्रयोजन के संदर्भ में है, इस उद्घोषणा को स्वत्व सम्बन्धी किसी विवाद में आधार नहीं माना जायेगा। इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7-इस उद्घोषणा का विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत बाराबंकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदक को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना होगा तथा विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत योजना का पालन करना होगा।

8-आवेदित गाटा संख्या में अन्य सहखातेदार हैं। जिनका अनापत्ति विषयक शपथ पत्र संलग्न पत्रावली है।

अतएव प्रश्रगत भूमि गैरकृषिक प्रयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। तहसीलदार नवाबगंज की जाँच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदक का आवेदित रकबा 0.3904हे0 गैरकृषिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि घोषित किया जा सकता है। इस कारण उक्त धारा के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा शुल्क रू0 70272-00 विभाजन शुल्क रू0 3000-00 का चालान एवं न्याय शुल्क रू0 100-00 का भारतीय कोर्ट फीस आवेदकगण द्वारा जमा किया गया। अतएव उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रस्तावित भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

### आदेश

अतः ग्राम केवाड़ी परगना देवां तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी की खतौनी सन् फ0 1428-1433 की खाता संख्या 00036, खाता संख्या 00041, खाता संख्या 00021 पर इम्पीरियल ग्रीन इन्फ्राटेक प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत/हस्ताक्षरी मोहम्मद नईम अहमद पुत्र स्व0 अबू तैय्यब के नाम संक्रमणीय भूमिधर (श्रेणी 1-क) अंकित भूमि खाता संख्या 00036 की गाटा संख्या 558मि0 रकबा 0.074हे0, खाता संख्या 00041 की गाटा संख्या 562ब रकबा 0.019हे0 एवं खाता संख्या 00021 की गाटा संख्या 562अ रकबा 0.318हे0 में से रकबा 0.2974हे0 को कृषि कार्य से अलग कार्यों में प्रयुक्त किये जाने के कारण धारा-80(2) उ0प्र0रा0 सं0-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 के अन्तर्गत गैर-कृषिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि घोषित किया जाता है। आवेदक को धारा 80(2) उ0प्र0 रा0सं0-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। मात्र इस उद्घोषणा के आधार पर आवासीय/व्यवसायिक दर से प्रतिकर देय नहीं होगा तथा इस उद्घोषणा का जिला पंचायत बाराबंकी की योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदक को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा एवं जिला पंचायत बाराबंकी की योजना का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। यदि उल्लिखित गाटा संख्याओं के विरुद्ध ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उ0प्र0रा0सं0-2006 की धारा-82 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक नवाबगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। बाद अमलदरामद पत्रावली सचिव राजस्व अभिलेखागार हो।

(विवेकशील यादव)  
उपजिलाधिकारी (न्यायिक)  
नवाबगंज बाराबंकी।

Digitally Signed by:  
VIVEK SHEEL YADAV



उपजिलाधिकारी,(न्यायिक)  
दिनांक समय: 15-01-2025 12:26:22 PM



## न्यायालय- उपजिलाधिकारी

जनपद - बाराबंकी, तहसील - नबाबगंज

कंप्यूटरीकृत संख्या :- T802025030894

आवेदक का नाम :- इम्पी० ग्रीनसिटीइन्फ्रास्टेट प्रा०लि० अधो० मो० वसीम अंसारी

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 20/06/2025

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही आवेदक इम्पी० ग्रीन सिटी इन्फ्रास्टेट प्रा०लि० अधोहस्ताक्षरी मो० वसीम अंसारी पुत्र सलाउद्दीन अंसारी निवासी 3 क्विंटन रोड लाल बाग लखनऊ द्वारा प्रस्तुत आनलाइन आवेदन संख्या टी० 802025030894/06.05.2025 अन्तर्गत धारा 80 उ०प्र०रा०सं० 2006 के आधार पर प्रारम्भ की गयी।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि ग्राम केवाडी परगना देवा तहसील नबाबगंज जनपद बाराबंकी की खतौनी सन् फ० 1428-1433 की खाता संख्या 00132 की गाटा संख्या 557 रकबा 0.585हे० में से 0.1463हे० माल गुजारी परता खाता आवेदक के नाम बतौर सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर दर्ज अभिलेख है। आवेदक द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त गाटा संख्याओं पर आवासीय गतिविधियाँ विद्यमान हो जाने के कारण अब उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य सम्भव नहीं है, जिसके कारण उपरोक्त भूमि कृषि कार्य प्रयोजन में न आने के कारण गैर-कृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त भूमि घोषित किये जाने की आवश्यकता है। राजस्व निरीक्षक की आख्या के अनुसार आवेदित गाटा संख्या का नजरी नक्शा आख्या के साथ संलग्न है तथा आवेदित भूमि अकृषक घोषित कराये जाने का उद्देश्य आवासीय प्रयोजन है। आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के पास प्रश्रगत आवेदित भूखण्ड को मिलाकर 12.5 एकड से अधिक भूमि नहीं है, और इसी क्रम में तहसीलदार नबाबगंज द्वारा आख्या दिनांक 06.06.2025 संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार नबाबगंज द्वारा प्रेषित जाँच आख्या दिनांक 06.06.2025 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ग्राम केवाडी परगना देवा तहसील नबाबगंज जनपद बाराबंकी की खतौनी सन् फ० 1428-1433 की खाता संख्या 00132 की गाटा संख्या 557 रकबा 0.585हे० में से 0.1463हे० माल गुजारी परता खाता को धारा-80(2) राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित किए जाने की उद्घोषणा निम्न प्रकार से उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जा रही है:-

धारा-80(2)उ०प्र०रा०सं० 2006 के अन्तर्गत तहसीलदार नबाबगंज द्वारा प्रेषित आख्या निम्नवत् है:-

राजस्व ग्राम का नाम केवाडी परगना देवा तहसील नबाबगंज जनपद बाराबंकी

भूमिधर का नाम/पिता का नाम व स्थान: इम्पी० ग्रीन सिटी इन्फ्रास्टेट प्रा०लि० अधोहस्ताक्षरी मो० वसीम अंसारी पुत्र सलाउद्दीन अंसारी निवासी 3 क्विंटन रोड लाल बाग लखनऊ

खतौनी खाता संख्या/खाते का क्षेत्र/मालगुजारी: 00132/0.585हे०/रू० 28.70

आवेदित गाटा संख्या/रकबा:- 557 रकबा 0.585हे० में से 0.1463हे० आंशिक

2-निर्धारित शुल्क: उद्घोषणा शुल्क रू० 26340-00 न्याय शुल्क-रू० 100-00

3-आवेदक के आवेदित रकबा 0.1463हे० पर आवासीय/व्यवसायिक गतिविधियाँ प्रस्तावित है, जिसका सम्बन्ध कृषि बागवानी, मत्स्य पालन व कुटकुट पालन से नहीं है।

4-उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-85(2) के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा प्रश्रगत रकबा का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उद्घोषणा शुल्क हेतु आगणित रकम रू० 5400-00 जरिये चालान संख्या आर०ए०जे० 250062240/14.06.2025 व विभाजन शुल्क रू० 1000-00 जरिये चालान संख्या 5400/1/एफ०एच० 62788/17.06.2025 व न्याय शुल्क रू० 100-00 का कोर्ट फी स्टाम्प अदा किया गया है।

5-चूँकि आवेदक द्वारा जोत का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, इसलिए राजस्व नियमावली-2016 के नियम-88 के अन्तर्गत उल्लिखित राजस्व संहिता -2006 की धारा-22 (2) के अनुसार उद्घोषणा



प्रतिकर की माँग नहीं करेगा इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7-यह उद्घोषणा मात्र भूमि के अकृषिक प्रयोजन के संदर्भ में है, इस उद्घोषणा को स्वत्व सम्बन्धी किसी विवाद में आधार नहीं माना जायेगा। इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8-इस उद्घोषणा का विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत बाराबंकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदिका को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना होगा तथा विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत योजना का पालन करना होगा।

9-आवेदित गाटा संख्या में आवेदक के अतिरिक्त अन्य सहखातेदार है, जिनका अनापत्ति विषयक शपथ पत्र संलग्न है।

अतएव प्रश्नगत भूमि गैरकृषिक प्रयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। अतः ग्राम केवाडी परगना देवा तहसील नबाबगंज जनपद बाराबंकी की खतौनी सन् फ० 1428-1433 की खाता संख्या 00132 की गाटा संख्या 557 रकबा 0.585हे० में से 0.1463हे० माल गुजारी परता खाता को कृषि कार्य से अलग कार्यो में प्रयुक्त किये जाने के कारण धारा-80(2) उ०प्र०राजस्व संहिता-2006 के अन्तगत गैरकृषिक प्रस्तावित भूमि घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट तहसीलदार नबाबगंज द्वारा अग्रसारित की गयी है। तहसीलदार नबाबगंज की जांच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदक का आवेदित रकबा 0.1463हे० गैरकृषिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि घोषित किया जा सकता है। इस कारण उक्त धारा के अन्तगत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा शुल्क रू० 26340-00 व विभाजन शुल्क रू० 1000-00 व न्याय शुल्क रू० 100-00 का भारतीय कोर्ट फी स्टाम्प आवेदक द्वारा जमा किया गया। अतः उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) के अन्तगत गैरकृषिक प्रस्तावित भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

#### आदेश

अतः ग्राम केवाडी परगना देवा तहसील नबाबगंज जनपद बाराबंकी की खतौनी फ० वर्ष 1428-1433 की खाता संख्या 00132 पर इम्पी० ग्रीन सिटी इन्फ्रास्टेट प्रा०लि० अधोहस्ताक्षरी मो० वसीम अंसारी पुत्र सलाउद्दीन अंसारी के नाम संक्रमणीय भूमिधर (श्रेणी 1-क) अंकित भूमि गाटा संख्या 557 रकबा 0.585हे० में से 0.1463हे० माल गुजारी परता खाता को धारा-80(2) उ०प्र० रा० सं०-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश -2019 के अन्तगत गैर-कृषिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि घोषित किया जाता है। आवेदक को धारा 80(2) उ०प्र० रा०सं०-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। मात्र इस उद्घोषणा के आधार पर आवासीय/व्यवसायिक दर से प्रतिकर देय नहीं होगा तथा इस उद्घोषणा का जिला पंचायत बाराबंकी की योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदक को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा एवं जिला पंचायत बाराबंकी की योजना का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। यदि उल्लिखित गाटा संख्या के विरुद्ध ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उ०प्र०रा०सं०-2006 की धारा-82 के अन्तगत कार्यवाही की जायेगी। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक नबाबगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। बाद अमलदरामद पत्रावली सचित राजस्व अभिलेखागार हो।

Digitally Signed by:  
Anand Kumar Tiwari  
उपजिलाधिकारी

दिनांक समय: 20-06-2025 07:39:37 PM



## न्यायालय- उपजिलाधिकारी

जनपद - बाराबंकी, तहसील - नवाबगंज

कंप्यूटरीकृत संख्या :- T802024059698

आवेदक का नाम :- शालीमार कार्प लि० द्वारा डाय० कुनाल सेठ आदि

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 19/12/2024

आदेश

प्रस्तुत वाद धारा-80 उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत आवेदकगण शालीमार कार्प लि० द्वारा डायरेक्टर कुनाल सेठ पुत्र संजय सेठ निवासी 8/1 विक्रमादित्य मार्ग हजरतगंज द्वारा मुख्तारआम अनिरुद्ध कुमार निगम पुत्र स्व० एच०पी०निगम निवासी नाया 62 पुरैया खेड़ा आलमनगर लखनऊ व शालीमार कार्प लि० द्वारा डायरेक्टर/अधिकृत हस्ताक्षरी खालिद मसूद पुत्र मसूद अहमद निवासी 196-45 निकट बलरामपुर हास्पिटल गोलागंज लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत आनलाइन आवेदन संख्य टी० 802024059698/07.11.2024 के आधार पर प्रारम्भ हुई।

आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि खतौनी सन् फ० 1428-1433 की खाता संख्या 00151 की गाटा संख्या 539अ रकबा 1.0420हे० में से 0.506हे० माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 00036 की गाटा संख्या 558मि० रकबा 0.074हे० माल गुजारी रू० 2.40 कुल 02 किता कुल रकबा 0.580हे० भूमि स्थित ग्राम केवाडी परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी आवेदकगण के नाम बतौर खातेदार संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। आवेदकगण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त गाटा संख्या पर आवासीय गतिविधियाँ विद्यमान हो जाने के कारण अब उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य सम्भव नहीं है, जिसके कारण उपरोक्त भूमि कृषि कार्य प्रयोजन में न आने के कारण गैर-कृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त भूमि घोषित किये जाने की आवश्यकता है। राजस्व निरीक्षक की आख्या के अनुसार आवेदित गाटा संख्या का नजरी नक्शा आख्या के साथ संलग्न है तथा आवेदित भूमि अकृषक घोषित कराये जाने का उद्देश्य मानचित्र स्वीकृति प्रयोजन है। आवेदकगण द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण के पास प्रश्नगत आवेदित भूखण्ड को मिलाकर 12.5 एकड से अधिक भूमि नहीं है। इसी क्रम में तहसीलदार नवाबगंज द्वारा आख्या दिनांक 04.12.2024 संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार नवाबगंज द्वारा प्रेषित जाँच आख्या दिनांक 04.12.2024 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर खतौनी सन् फ० 1428-1433 की खाता संख्या 00151 की गाटा संख्या 539अ रकबा 1.0420हे० में से 0.506हे० माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 00036 की गाटा संख्या 558मि० रकबा 0.074हे० माल गुजारी रू० 2.40 कुल 02 किता कुल रकबा 0.580हे० को धारा-80(2) राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित किए जाने की उद्घोषणा निम्न प्रकार से उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जा रही है:-

धारा-80(2)उ०प्र०रा०सं० 2006 के अन्तर्गत तहसीलदार नवाबगंज द्वारा प्रेषित आख्या निम्नवत् है:-

राजस्व ग्राम का नाम केवाडी परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी

भूमिधर का नाम/पिता का नाम व स्थान:- शालीमार कार्प लि० द्वारा डायरेक्टर कुनाल सेठ पुत्र संजय सेठ निवासी 8/1

विक्रमादित्य मार्ग हजरतगंज द्वारा मुख्तारआम अनिरुद्ध कुमार निगम पुत्र स्व० एच०पी०निगम निवासी नाया 62 पुरैया

खेड़ा आलमनगर लखनऊ व शालीमार कार्प लि० द्वारा डायरेक्टर/अधिकृत हस्ताक्षरी खालिद मसूद पुत्र मसूद अहमद

निवासी 196-45 निकट बलरामपुर हास्पिटल गोलागंज लखनऊ

खतौनी खाता संख्या/खाते का क्षेत्र/माल गुजारी- 00036/0.074हे०/रू० 2.40 व खाता संख्या 00151/1.042हे०/रू० 51.40

आवेदित गाटा संख्या/रकबा:- खाता संख्या 00151 की गाटा संख्या 539अ रकबा 1.0420हे० में से 0.506हे० माल गुजारी

परता खाता व खाता संख्या 00036 की गाटा संख्या 558मि० रकबा 0.074हे० माल गुजारी रू० 2.40 कुल 02 किता कुल

रकबा 0.580हे०

निर्धारित शुल्क: उद्घोषणा शुल्क रू० 1,04,400-00 न्याय शुल्क-रू० 100-00

2-आवेदकगण के आवेदित रकबा 0.580हे० पर आवासीय/व्यवसायिक गतिविधियाँ प्रस्तावित है, जिसका सम्बन्ध कृषि बागवानी, मत्स्य पालन व कुटकुट पालन से नहीं है।

3-उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-85(2) के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के

अनुसार उद्घोषणा प्रश्नगत रकबा का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उद्घोषणा शुल्क हेतु

आगणित रकम का एक प्रतिशत रू० 1,04,400-00 जरिये चालान संख्या आर०ए०जे० 240104793/14.12.2024 व

विभाजन शुल्क रू० 2000-00 जरिये चालान संख्या 5400/1/एल०डी० 44433/13.12.2024 व न्याय शुल्क रू० 100-00



का कोर्ट फी स्टाम्प अदा किया गया है।

4- चूँकि आवेदकगण द्वारा जोत का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, इसलिए राजस्व नियमावली-2016 के नियम-88 के अन्तर्गत उल्लिखित राजस्व संहिता -2006 की धारा-22 (2) के अनुसार उद्घोषणा शुल्क जरिये चालान सम्बन्धित लेखा शीर्षक में व न्याय शुल्क जरिये स्टाम्प जमा किया गया है।

5-इस उद्घोषणा में मात्र भूमि पर अकृषिक गतिविधियाँ प्रारम्भ होने के आधार पर भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किया जा रहा है, परन्तु मात्र इस घोषणा के आधार पर कोई भू-स्वामी भू-अर्जन की स्थिति में व्यवसायिक दर से प्रतिकर की माँग नहीं करेगा इस सम्बन्ध में आवेदकगण द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6-यह उद्घोषणा मात्र भूमि के अकृषिक प्रयोजन के संदर्भ में है, इस उद्घोषणा को स्वत्व सम्बन्धी किसी विवाद में आधार नहीं माना जायेगा। इस सम्बन्ध में आवेदकगण द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7-इस उद्घोषणा का विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत बाराबंकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदिका को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना होगा तथा विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत योजना का पालन करना होगा।

9-आवेदित गाटा संख्या में आवेदकगण के अतिरिक्त अन्य सहखातेदार हैं, जिनका अनापत्ति विषयक शपथ पत्र आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अतएव प्रश्नगत भूमि गैरकृषिक प्रयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। अतः खतौनी सन् फ० 1428-1433 की खाता संख्या 00151 की गाटा संख्या 539अ रकबा 1.0420हे० में से 0.506हे० माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 00036 की गाटा संख्या 558मि० रकबा 0.074हे० माल गुजारी रू० 2.40 कुल 02 किता कुल रकबा 0.580हे० को कृषि कार्य से अलग कार्य में प्रयुक्त किये जाने के कारण धारा-80(2) उ०प्र०राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रस्तावित भूमि घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट तहसीलदार नवाबगंज द्वारा अग्रसारित की गयी है। तहसीलदार नवाबगंज की जाँच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण का आवेदित रकबा 0.580हे० गैरकृषिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि घोषित किया जा सकता है। इस कारण उक्त धारा के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा शुल्क रू० 1,04,400-00 व विभाजन शुल्क रू० 2000-00 व न्याय शुल्क रू० 100-00 का भारतीय कोर्ट फी स्टाम्प आवेदकगण द्वारा जमा किया गया। अतः उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रस्तावित भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

#### आदेश

अतः ग्राम केवाडी परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी की खतौनी फ० वर्ष 1429-1434 की खाता संख्या 00036 व 00151 पर शालीमार कार्प लि० द्वारा डायरेक्टर कुनाल सेठ पुत्र संजय सेठ द्वारा मुख्तारआम अनिरुद्ध कुमार निगम पुत्र स्व० एच०पी०निगम व शालीमार कार्प लि० द्वारा डायरेक्टर/अधिकृत हस्ताक्षरी खालिद मसूद पुत्र मसूद अहमद के नाम संक्रमणीय भूमिधर (श्रेणी 1-क) अंकित भूमि खाता संख्या 00151 की गाटा संख्या 539अ रकबा 1.0420हे० में से 0.506हे० माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 00036 की गाटा संख्या 558मि० रकबा 0.074हे० माल गुजारी रू० 2.40 कुल 02 किता कुल रकबा 0.580हे० को धारा-80(2) उ०प्र० रा० सं०-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश -2019 के अन्तर्गत गैर-कृषिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि घोषित किया जाता है। आवेदकगण को धारा 80(2) उ०प्र० रा० सं०-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। मात्र इस उद्घोषणा के आधार पर आवासीय /व्यवसायिक दर से प्रतिकर देय नहीं होगा तथा इस उद्घोषणा का जिला पंचायत बाराबंकी की योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदकगण को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा एवं जिला पंचायत बाराबंकी की योजना का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। यदि उल्लिखित गाटा संख्याओं के विरुद्ध ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उ०प्र०रा० सं०-2006 की धारा-82 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक नवाबगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। बाद अमलदरामद पत्रावली सचिव राजस्व अभिलेखागार हो।

Digitally Signed by:  
Rallapalli Jagat Sai  
उपजिलाधिकारी

दिनांक समय: 19-12-2024 04:33:9 PM



## न्यायालय- उपजिलाधिकारी

जनपद - बाराबंकी, तहसील - नबाबगंज

कंप्यूटरीकृत संख्या :- T202441248013182

आवेदक का नाम :- राजेश कुमार पाण्डेय

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 24/05/2024

### आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही धारा-80 उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत राजेश कुमार पाण्डेय पुत्र हरीशंकर पाण्डेय निवासी कृष्णा हास्पीटल बीलंडपुर गोरखपुर द्वारा प्रस्तुत आनलाइन आवेदन संख्या टी0 202441248013182 दिनांक 23.03.2024 के आधार पर प्रारम्भ हुई।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि खतौनी सन् फ0 1428-1433 की खाता संख्या 00130 की गाटा संख्या 558मि0 रकबा 0.4180हे0 में से 0.1305हे0 माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 00131 की गाटा संख्या 555मि0 रकबा 0.032हे0 में से 0.030हे0 माल गुजारी परता खाता कुल 02 किता कुल रकबा 0.1605हे0 भूमि स्थित ग्राम केवाड़ी परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी आवेदक के नाम बतौर सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आवेदक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त गाटा संख्या पर अकृषक गतिविधियाँ विद्यमान हो जाने के कारण अब उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य सम्भव नहीं है, जिसके कारण उपरोक्त भूमि कृषि कार्य प्रयोजन में न आने के कारण भूमि को गैरकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त भूमि घोषित किये जाने की आवश्यकता है। राजस्व निरीक्षक की आख्या के अनुसार आवेदित गाटा संख्या का मौके पर सीमांकन करते हुए नजरी नक्शा बनाया गया जिसके अनुसार आवेदित गाटा संख्या का रकबा मौके पर पूर्ण है। राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार की आख्या में यह भी उल्लेख है कि आवेदित गाटा संख्या लखनऊ-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 300मी0 की दूरी पर स्थित है। आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के पास प्रश्रगत आवेदित भूखण्ड को मिलाकर 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। इसी क्रम में तहसीलदार नवाबगंज द्वारा आख्या दिनांक 30.04.2024 संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार नवाबगंज द्वारा प्रेषित जॉच आख्या 30.04.2024 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आवेदक के नाम खतौनी सन् फ0 1428-1433 की खाता संख्या 00130 की गाटा संख्या 558मि0 रकबा 0.4180हे0 में से 0.1305हे0 माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 00131 की गाटा संख्या 555मि0 रकबा 0.032हे0 में से 0.030हे0 माल गुजारी परता खाता कुल 02 किता कुल रकबा 0.1605हे0 को धारा-80(2) राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित किए जाने की उदघोषणा निम्न प्रकार से उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जा रही है:-

धारा-80(2)उ0प्र0रा0सं0 2006 के अन्तर्गत तहसीलदार नवाबगंज द्वारा प्रेषित आख्या निम्नवत् है:-

राजस्व ग्राम का नाम केवाड़ी परगना देवा तहसील नवाबगंज बाराबंकी

भूमिधर का नाम/पिता का नाम व स्थान:- राजेश कुमार पाण्डेय पुत्र हरीशंकर पाण्डेय निवासी कृष्णा हास्पीटल बीलंडपुर गोरखपुर।

खतौनी खाता संख्या/खाते का क्षेत्र/माल गुजारी- 00130/0.4180हे0 भू0 राजस्व रू0 25.00 व खाता संख्या 00131/0.0320हे0/रू0 1.50

गाटा संख्या/आवेदित अंश:- खाता संख्या 00130 की गाटा संख्या 558मि0 रकबा 0.4180हे0 में से 0.1305हे0 माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 00131 की गाटा संख्या 555मि0 रकबा 0.032हे0 में से 0.030हे0 माल गुजारी परता खाता कुल 02 किता कुल रकबा 0.1605हे0

शुल्क का विवरण-उदघोषणा शुल्क रू0 28890-00 व न्याय शुल्क रू0 28890-00

2-आवेदक द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र दिया गया है। ऐसी स्थिति में नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।

3-आवेदक के आवेदित रकबा 0.1605हे0 पर आवासीय गतिविधियाँ प्रस्तावित है, जिसका सम्बन्ध कृषि



बागवानी, मत्स्य पालन व कुटकुट पालन से नहीं है।

4-उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली-2016 की धारा-85(2) के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा प्रश्रगत रकबे का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उद्घोषणा शुल्क हेतु आगणित रकम का एक प्रतिशत रू० 28890-00 चालान सख्या आर०ए०जे० 240030667/14.05.2024 व विभाजन शुल्क रू० 2000-00 चालान सख्या 5400/01/ई०ई० 05950/14.05.2024 व न्याय शुल्क रू० 28890-00 के सम्बन्ध में रू० 28800-00 का भारतीय कोर्ट फी० स्टाम्प व रू० 90-00 का चिपकाऊ स्टाम्प अदा किया गया है।

5- चूंकि आवेदक द्वारा अपनी जोत का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, इसलिए राजस्व नियमावली-2016 के नियम-88 के अन्तर्गत उल्लिखित राजस्व संहिता-2006 की धारा-22 (2) के अनुसार उद्घोषणा शुल्क जरिये चालान सम्बन्धित लेखा शीर्षक में व न्याय शुल्क जरिये स्टाम्प जमा किया गया है।

6-इस उद्घोषणा में मात्र भूमि पर अकृषिक गतिविधियाँ प्रारम्भ होने के आधार पर भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किया जा रहा है, परन्तु मात्र इस घोषणा के आधार पर कोई भू-स्वामी भू-अर्जन की स्थिति में व्यवसायिक दर से प्रतिकर की माँग नहीं करेगा इस सम्बन्ध में आवेदिका द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7-यह उद्घोषणा मात्र भूमि के अकृषिक प्रयोजन के संदर्भ में है, इस उद्घोषणा को स्वत्व सम्बन्धी किसी विवाद में आधार नहीं माना जायेगा। इस सम्बन्ध में आवेदिका द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8-इस उद्घोषणा का विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत बाराबंकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदक को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना होगा तथा विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत योजना का पालन करना होगा।

9-आवेदित गाटा संख्या में अन्य सहखातेदार हैं, जिनका अनापत्ति विषयक शपथ पत्र संलग्न हैं।

अतएव प्रश्रगत भूमि गैरकृषिक प्रयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। अतः ग्राम केवाड़ी परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी स्थित भूमि खतौनी सन् फ० 1428-1433 की खाता संख्या 00130 की गाटा संख्या 558मि० रकबा 0.4180हे० में से 0.1305हे० माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 00131 की गाटा संख्या 555मि० रकबा 0.032हे० में से 0.030हे० माल गुजारी परता खाता कुल 02 किता कुल रकबा 0.1605हे० को कृषि से अलग कार्यों में प्रयुक्त किये जाने के कारण धारा-80(2) उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट तहसीलदार नवाबगंज द्वारा अग्रसारित की गयी है। तहसीलदार नवाबगंज की जाँच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदक का आवेदित रकबा 0.1605हे० गैरकृषिक प्रस्तावित भूमि घोषित किया जा सकता है। इस कारण उक्त धारा के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा शुल्क रू० 28890-00 व विभाजन शुल्क रू० 2000-00 का चालान एवं न्याय शुल्क रू० 28890-00 का भारतीय कोर्ट फी स्टाम्प अदा किया गया। अतः उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रस्तावित भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

अतः ग्राम केवाड़ी परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी की खतौनी फ० वर्ष 1428-1433 की खाता संख्या 00130 व 00131 पर राजेश कुमार पाण्डेय पुत्र हरीशंकर पाण्डेय के नाम संक्रमणीय भूमिधर (श्रेणी 1-क) अंकित भूमि खाता संख्या 00130 की गाटा संख्या 558मि० रकबा 0.4180हे० में से 0.1305हे० माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 00131 की गाटा संख्या 555मि० रकबा 0.032हे० में से 0.030हे० माल गुजारी परता खाता कुल 02 किता कुल रकबा 0.1605हे० को धारा-80(2) उ०प्र० रा०सं०-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 के अन्तर्गत गैर कृषिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि घोषित किया जाता है। आवेदक को धारा 80(2) उ०प्र० रा०सं०-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। मात्र इस उद्घोषणा के आधार पर आवासीय/ व्यवसायिक दर से प्रतिकर देय नहीं होगा तथा इस उद्घोषणा का जिला पंचायत बाराबंकी की योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदक को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा एवं जिला पंचायत बाराबंकी की योजना का अक्षरशः



अनुपालन करना होगा। यदि उल्लिखित गाटा संख्याओं के विरूद्ध ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उ0प्र0रा0सं0-2006 की धारा-82 के अर्तगत कार्यवाही की जायेगी। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक नवाबगंज एवं विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बाराबंकी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। बाद अमलदरामद पत्रावली सचिव अभिलेखागार हो।

Digitally Signed by:  
BIJAY KUMAR TRIVEDI  
उपजिलाधिकारी

दिनांक समय: 24-05-2024 07:48:54 PM



## न्यायालय- उपजिलाधिकारी,(न्यायिक)

जनपद - बाराबंकी, तहसील - नवाबगंज

कंप्यूटरीकृत संख्या :- T802024048525

आवेदक का नाम :- शालीमार कार्प लि० आदि

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 26/10/2024

आदेश

निर्णय

प्रस्तुत वाद धारा-80 उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत आवेदकगण शालीमार कार्प लि० द्वारा डायरेक्टर कुनाल सेठ पुत्र संजय सेठ निवासी विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ व शालीमार कार्पो लि० द्वारा डायरेक्टर मो० अब्दुल्ला मसूद पुत्र मसूद अहमद निवासी 196/4 चक्रवर्ती रोड नियर बलरामपुर हास्पिटल गोलागंज लखनऊ द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन संख्या टी०-802024048525/21.09.2024 के आधार पर प्रारम्भ हुई।

आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि खतौनी सन् फ० 1428-1433 की खाता संख्या 00132 की गाटा संख्या 557 रकबा 0.585हे० में से रकबा 0.1462हे० व खाता संख्या 00130 की गाटा संख्या 558मि० रकबा 0.418हे० में से 0.2877हे० कुल दो किता रकबा 0.4339हे० भूमि स्थित ग्राम केवाड़ी परगना देवां तहसील नवाबगंज बाराबंकी आवेदकगण के नाम बतौर खातेदार श्रेणी-1-क/भूमि संक्रमणीय दर्ज कागजात है। आवेदकगण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त गाटा संख्या पर आवासीय गतिविधियाँ विद्यमान हो जाने के कारण अब उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य सम्भव नहीं है, जिसके कारण उपरोक्त भूमि कृषि कार्य प्रयोजन में न आने के कारण गैर-कृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त भूमि घोषित किये जाने की आवश्यकता है। राजस्व निरीक्षक की आख्या के अनुसार आवेदित गाटा संख्या का मौके पर सीमांकन करते हुए नजरी नक्शा बनाया गया जिसके अनुसार आवेदित गाटा संख्या का रकबा मौके पर पूर्ण है। इसी क्रम में तहसीलदार नवाबगंज द्वारा आख्या दिनांक 03.10.2024 संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार नवाबगंज द्वारा प्रेषित जाँच आख्या दिनांक 03.10.2024 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आवेदित खाता संख्या 00132 की गाटा संख्या 557 रकबा 0.585हे० में से रकबा 0.1462हे० व खाता संख्या 00130 की गाटा संख्या 558मि० रकबा 0.418हे० में से 0.2877हे० कुल दो किता रकबा 0.4339हे० भूमि स्थित ग्राम केवाड़ी परगना देवां तहसील नवाबगंज बाराबंकी को धारा-80(2) राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित किए जाने की उद्घोषणा निम्न प्रकार से उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जा रही है:-

धारा-80(2)उ०प्र०रा०सं० 2006 के अन्तर्गत तहसीलदार नवाबगंज द्वारा प्रेषित आख्या निम्नवत् है:-

राजस्व ग्राम का नाम केवाड़ी परगना देवां तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी

भूमिधर का नाम/पिता का नाम व स्थान: शालीमार कार्प लि० द्वारा डायरेक्टर कुनाल सेठ पुत्र संजय सेठ निवासी विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ व शालीमार कार्पो लि० द्वारा डायरेक्टर मो० अब्दुल्ला मसूद पुत्र मसूद अहमद निवासी 196/4 चक्रवर्ती रोड नियर बलरामपुर हास्पिटल गोलागंज लखनऊ।

खतौनी खाता संख्या/खाते का क्षेत्र- 00132/0.585हे० एवं खाता संख्या 00130/0.418हे०

गाटा संख्या/आवेदित अंश: गाटा संख्या 557 रकबा 0.585हे० में से रकबा 0.1462हे० व गाटा संख्या 558मि० रकबा 0.418हे० में से 0.2877हे० कुल दो किता रकबा 0.4339हे०।

शुल्क का विवरण-उद्घोषणा शुल्क रू० 78106-00 व न्याय शुल्क रू० 50-00

2-आवेदकगण के आवेदित रकबा 0.4339हे० पर आवासीय/व्यवसायिक गतिविधियाँ प्रस्तावित है, जिसका सम्बन्ध कृषि बागवानी, मत्स्य पालन व कुटकुट पालन से नहीं है।

3-उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-85(2) के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा प्रश्रुत रकबे का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उद्घोषणा शुल्क हेतु आगणित रकम का एक प्रतिशत रू० 78106-00 जरिये चालान संख्या आर०ए०जे० 240088446/22.10.2024 व विभाजन शुल्क रू० 1000-00 जरिये चालान संख्या 5400/01/जे०ए०न० 38375/23.10.2024 जमा किया गया व न्याय शुल्क रू० 50-00 का कोर्ट फीस के रूप में टिकट अदा किया गया है।

4- चूँकि आवेदकगण द्वारा जोत का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, इसलिए राजस्व नियमावली-2016 के नियम-88 के अन्तर्गत उल्लिखित राजस्व संहिता-2006 की धारा-22(2) के अनुसार उद्घोषणा



शुल्क जरिये चालान सम्बन्धित लेखा शीर्षक में व न्याय शुल्क जरिये स्टाम्प जमा किया गया है।

5-इस उद्घोषणा में मात्र भूमि पर अकृषिक गतिविधियाँ प्रारम्भ होने के आधार पर भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किया जा रहा है, परन्तु मात्र इस घोषणा के आधार पर कोई भू-स्वामी भू-अर्जन की स्थिति में व्यवसायिक दर से प्रतिकर की माँग नहीं करेगा इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6-यह उद्घोषणा मात्र भूमि के अकृषिक प्रयोजन के संदर्भ में है, इस उद्घोषणा को स्वत्व सम्बन्धी किसी विवाद में आधार नहीं माना जायेगा। इस सम्बन्ध में आवेदकगण द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7-इस उद्घोषणा का विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत बाराबंकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदक को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना होगा तथा विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत योजना का पालन करना होगा।

8-आवेदित गाटा संख्या में अन्य सहखातेदार हैं। जिनका अनापत्ति विषयक संलग्न पत्रावली है।

अतएव प्रश्नगत भूमि गैरकृषिक प्रयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। तहसीलदार नवाबगंज की जाँच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण का आवेदित रकबा 0.4339हे० गैरकृषिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि घोषित किया जा सकता है। इस कारण उक्त धारा के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा शुल्क रू० 78106-00, विभाजन शुल्क रू० 1000-00 का चालान एवं न्याय शुल्क रू० 50-00 का भारतीय कोर्ट फीस आवेदक द्वारा जमा किया गया। अतएव उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रस्तावित भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

#### आदेश

अतः ग्राम केवाड़ी परगना देवां तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी की खतौनी सन् फ० 1428-1433 की खाता संख्या 00132 एवं खाता संख्या 00130 पर दर्ज शालीमार कार्प लि० द्वारा डायरेक्टर कुनाल सेठ पुत्र संजय सेठ व शालीमार कार्पो लि० द्वारा डायरेक्टर मो० अब्दुल्ला मसूद पुत्र मसूद अहमद के नाम संक्रमणीय भूमिधर (श्रेणी 1-क) अंकित भूमि गाटा संख्या 557 रकबा 0.585हे० में से रकबा 0.1462हे० व गाटा संख्या 558मि० रकबा 0.418हे० में से 0.2877हे० कुल दो किता रकबा 0.4339हे० को कृषि कार्य से अलग कार्यों में प्रयुक्त किये जाने के कारण धारा-80(2) उ०प्र० रा० सं०-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 के अन्तर्गत गैर-कृषिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि घोषित किया जाता है। आवेदक को धारा 80(2) उ०प्र० रा० सं०-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। मात्र इस उद्घोषणा के आधार पर आवासीय/व्यवसायिक दर से प्रतिकर देय नहीं होगा तथा इस उद्घोषणा का जिला पंचायत बाराबंकी की योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदक को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा एवं जिला पंचायत बाराबंकी की योजना का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। यदि उल्लिखित गाटा संख्याओं के विरुद्ध ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उ०प्र० रा० सं०-2006 की धारा-82 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक नवाबगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। बाद अमलदरामद पत्रावली सचिव राजस्व अभिलेखागार हो।

(बिजय कुमार त्रिवेदी)  
उपजिलाधिकारी (न्यायिक)  
नवाबगंज बाराबंकी।

Digitally Signed by:  
BIJAY KUMAR TRIVEDI  
उपजिलाधिकारी,(न्यायिक)  
दिनांक समय: 26-10-2024 05:29:56 PM



उ०प्र० रा०सं०-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 के अर्तगत गैर कृषिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि घोषित किया जाता है। आवेदकगण को धारा 80(2) उ०प्र० रा०सं०-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। मात्र इस उद्घोषणा के आधार पर आवासीय/ व्यवसायिक दर से प्रतिकर देय नहीं होगा तथा इस उद्घोषणा का जिला पंचायत बाराबंकी की योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदकगण को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा एवं जिला पंचायत बाराबंकी की योजना का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। यदि उल्लिखित गाटा संख्याओं के विरुद्ध ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उ०प्र०रा०सं०-2006 की धारा-82 के अर्तगत कार्यवाही की जायेगी। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक नवाबगंज एवं विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बाराबंकी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। बाद अमलदरामद पत्रावली सचित अभिलेखागार हो।

Digitally Signed by:  
BIJAY KUMAR TRIVEDI  
उपजिलाधिकारी

दिनांक समय: 24-05-2024 07:48:24 PM



## न्यायालय- उपजिलाधिकारी

जनपद - बाराबंकी, तहसील - नबाबगंज  
कंप्यूटरीकृत संख्या :- T202441248013184

आवेदक का नाम :- एस० एम० एंड एस० एच० बिल्डजोन एल एल पी द्वारा अधोहस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय  
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 24/05/2024

### आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही धारा-80 उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत एस०एम०एण्ड एस एच बिल्डजोन अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र आर०एस० पाण्डेय निवासी सी-1/190 विशेष खण्ड गोमतीनगर लखनऊ द्वारा प्रस्तुत आनलाइन आवेदन संख्या टी० 202441248013184 दिनांक 26.02.2024 के आधार पर प्रारम्भ हुई।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि खतौनी सन् फ० 1428-1433 की खाता संख्या 00132 की गाटा संख्या 557 रकबा 0.5850हे० में से 0.1506हे० माल गुजारी परता खाता भूमि स्थित ग्राम केवाड़ी परगना देवा तहसील नबाबगंज जनपद बाराबंकी आवेदक के नाम दर्ज अभिलेख है। आवेदक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त गाटा संख्या पर अकृषक गतिविधियाँ विद्यमान हो जाने के कारण अब उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य सम्भव नहीं है, जिसके कारण उपरोक्त भूमि कृषि कार्य प्रयोजन में न आने के कारण भूमि को गैरकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त भूमि घोषित किये जाने की आवश्यकता है। राजस्व निरीक्षक की आख्या के अनुसार आवेदित गाटा संख्या का मौके पर सीमांकन करते हुए नजरी नक्शा बनाया गया जिसके अनुसार आवेदित गाटा संख्या का रकबा मौके पर पूर्ण है। आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के पास प्रश्रगत आवेदित भूखण्ड को मिलाकर 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार की आख्या के अनुसार आवेदित भूखण्ड लखनऊ-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 350मी० की दूरी पर स्थित है। इसी क्रम में तहसीलदार नबाबगंज द्वारा आख्या दिनांक 30.04.2024 संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार नबाबगंज द्वारा प्रेषित जॉच आख्या 30.04.2024 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आवेदक के नाम खतौनी सन् फ० 1428-1433 की खाता संख्या 00132 की गाटा संख्या 557 रकबा 0.5850हे० में से 0.1506हे० माल गुजारी परता खाता को धारा-80(2) राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित किए जाने की उद्घोषणा निम्न प्रकार से उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जा रही है:-  
धारा-80(2)उ०प्र०रा०सं० 2006 के अन्तर्गत तहसीलदार नबाबगंज द्वारा प्रेषित आख्या निम्नवत् है:-

राजस्व ग्राम का नाम केवाड़ी परगना देवा तहसील नबाबगंज बाराबंकी

भूमिधर का नाम/पिता का नाम व स्थान:- एस०एम०एण्ड एस एच बिल्डजोन अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र आर०एस० पाण्डेय निवासी सी-1/190 विशेष खण्ड गोमतीनगर लखनऊ।

खतौनी खाता संख्या/खाते का क्षेत्र/माल गुजारी- 00132/0.585हे०/रू० 28.70

गाटा संख्या/आवेदित अंश:- 557 रकबा 0.5850हे० में से 0.1506हे०

शुल्क का विवरण-उद्घोषणा शुल्क रू० 27110-00 व न्याय शुल्क रू० 27110-00

2-आवेदक द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र दिया गया है। ऐसी स्थिति में नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।

3-आवेदक के आवेदित रकबा 0.1506हे० पर आवासीय गतिविधियाँ प्रस्तावित है, जिसका सम्बन्ध कृषि बागवानी, मत्स्य पालन व कुटकुट पालन से नहीं है।

4-उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली-2016 की धारा-85(2) के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा प्रश्रगत रकबे का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उद्घोषणा शुल्क हेतु आगणित रकम का एक प्रतिशत रू० 27110-00 चालान संख्या आर०ए०जे० 240030668/14.05.2024 व विभाजन शुल्क रू० 1000-00 चालान संख्या 5400/01/ई०ई० 05949/14.05.2024 व न्याय शुल्क रू० 27110-00 के सम्बन्ध में रू० 27100-00 का भारतीय कोर्ट फी० स्टाम्प व रू० 10-00 का चिपकाऊ स्टाम्प अदा किया गया है।

5- चूँकि आवेदक द्वारा अपनी जोत का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, इसलिए राजस्व नियमावली-2016 के नियम-88 के अन्तर्गत उल्लिखित राजस्व संहिता-2006 की धारा-22 (2) के अनुसार उद्घोषणा शुल्क जरिये चालान सम्बन्धित लेखा शीर्षक में व न्याय शुल्क जरिये स्टाम्प जमा किया गया है।

6-इस उद्घोषणा में मात्र भूमि पर अकृषिक गतिविधियाँ प्रारम्भ होने के आधार पर भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन घोषित



किया जा रहा है, परन्तु मात्र इस घोषणा के आधार पर कोई भू-स्वामी भू-अर्जन की स्थिति में व्यवसायिक दर से प्रतिकर की माँग नहीं करेगा इस सम्बन्ध में आवेदिका द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7-यह उद्घोषणा मात्र भूमि के अकृषिक प्रयोजन के संदर्भ में है, इस उद्घोषणा को स्वत्व सम्बन्धी किसी विवाद में आधार नहीं माना जायेगा। इस सम्बन्ध में आवेदिका द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8-इस उद्घोषणा का विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत बाराबंकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदक को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना होगा तथा विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत योजना का पालन करना होगा।

9-आवेदित गाटा संख्या में अन्य सहखातेदार नहीं हैं।

अतएव प्रश्रुत भूमि गैरकृषिक प्रयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। अतः ग्राम केवाड़ी परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी स्थित भूमि खतौनी सन् फ0 1428-1433 की खाता संख्या 00132 की गाटा संख्या 557 रकबा 0.5850हे0 में से 0.1506हे0 माल गुजारी परता खाता को कृषि से अलग कार्यों में प्रयुक्त किये जाने के कारण धारा-80(2) उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अत्रतगत गैरकृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट तहसीलदार नवाबगंज द्वारा अग्रसारित की गयी है। तहसीलदार नवाबगंज की जाँच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदक का आवेदित रकबा 0.1506हे0 गैरकृषिक प्रस्तावित भूमि घोषित किया जा सकता है। इस कारण उक्त धारा के अत्रतगत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा शुल्क रू0 27110-00 व विभाजन शुल्क रू0 1000-00 का चालान एवं न्याय शुल्क रू0 27110-00 का भारतीय कोर्ट फी स्टाम्प अदा किया गया। अतः उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) के अत्रतगत गैरकृषिक प्रस्तावित भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

#### आदेश

अतः ग्राम केवाड़ी परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी की खतौनी फ0 वर्ष 1428-1433 की खाता संख्या 00132 पर एस0एम0एण्ड एस एच बिल्डोजोन अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र आर0एस0 पाण्डेय के नाम संक्रमणीय भूमिधर (श्रेणी 1-क) अंकित भूमि गाटा संख्या 557 रकबा 0.5850हे0 में से 0.1506हे0 माल गुजारी परता खाता को धारा-80(2) उ0प्र0 रा0सं0-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 के अत्रतगत गैर कृषिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि घोषित किया जाता है। आवेदक को धारा 80(2) उ0प्र0 रा0सं0-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। मात्र इस उद्घोषणा के आधार पर आवासीय/ व्यवसायिक दर से प्रतिकर देय नहीं होगा तथा इस उद्घोषणा का जिला पंचायत बाराबंकी की योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदक को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा एवं जिला पंचायत बाराबंकी की योजना का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। यदि उल्लिखित गाटा संख्याओं के विरुद्ध ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उ0प्र0रा0सं0-2006 की धारा-82 के अत्रतगत कार्यवाही की जायेगी। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक नवाबगंज एवं विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बाराबंकी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। बाद अमलदरामद पत्रावली सचिव अभिलेखागार हो।

Digitally Signed by:  
BIJAY KUMAR TRIVEDI  
उपजिलाधिकारी

दिनांक समय: 24-05-2024 07:48:42 PM